

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

/वादी
म


बनाम

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

कानाराम वगैरह

प्रकरण : राजस्व वादपत्र

मुकदमा नं. 136 / 2019

हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
2026	<p>प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रकरण हाजा को आज पेशी पर लिया जाकर नया वाद प्रस्तुत की जाने की अनुमति के साथ जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने के संबंध में पेश किया। पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वर्तमान में प्रतिवादीगण की तलबी स्तर पर लम्बित चल रहा है। प्रार्थी ने प्रकरण हाजा में कुछ त्रुटियां रहने से पुनः न्यायालय में नया वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने बाबत निवेदन किया। अतः वादपत्र अधीन धारा 88, 188 आरटीएक्ट 1955 वकील वादी को पुनः नया वाद पत्र प्रस्तुत की जाने की अनुमति के साथ जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां</p>	